11 साल की बोधना दुनिया की सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बनीं

लुसाने (स्विट्जरलैंड)। भारतीय मूल की 11 वर्षीय ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ने नया इतिहास रच दिया है। बोधना महिला ग्रैंडमास्टर (डब्ल्यूजीएम) का खिताब हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने बताया कि बोधना ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में खत्म हुए चेस ओलंपियाड 2026 में यह उपलब्धि हासिल की है। बोधना ने चेस ओलंपियाड में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना तीसरा और अंतिम डब्ल्यूजीएम मानदंड पूरा कर लिया है। इससे पहले सबसे कम उम्र की ग्रैंडमास्टर होने का रिकॉर्ड रूस की कटरीना लागनो के नाम था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में डब्ल्यूजीएम का खिताब हासिल किया था। चीन की पूर्व विश्व चैंपियन हाउ यिफान ने भी 12 साल की उम्र में यह खिताब जीता था।

- वह ग्रैंडमास्टर का पूर्ण खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी हुई हैं, जिसे उन्होंने 14 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। इंग्लैंड की महिला टीम के लिए शीर्ष स्थान हासिल करते हुए बोधना ने छह गेम जीते और 11 में से 8 अंक हासिल किए। इसकी बदौलत इंग्लैंड महिला वर्ग में 15वें स्थान पर रहा।
- बोर्ड 1 पर वह टूर्नामेंट की 13वीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानी गई। आईटी सेक्टर से जुड़े बोधना के पिता शिवानंदन वेलायुधम तमिलनाडु के त्रिची निवासी हैं, जो साल 2007 में परिवार के साथ लंदन चले गए थे। बोधना का जन्म वहीं पर हुआ था। एजेंसी

लिस्टिंग टालने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने दो कंपनियों के विलय का प्रस्ताव दिया

मुंबई। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस की संभावित लिस्टिंग को टालने के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और टाटा इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस का टाटा संस में विलय होगा। इसका मकसद टाटा संस को एनबीएफसी व कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की नियामकीय श्रेणी से बाहर लाना है।

प्रस्ताव को टाटा संस के बोर्ड व आरबीआई की मंजूरी जरूरी है। ट्रस्ट्स ने कंपनी के बोर्ड से प्रस्ताव को मंजूरी देने और आरबीआई से जरूरी एनओसी लेने के लिए आवेदन करने को कहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो टाटा संस गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी बनी रह सकेगी। टाटा ट्रस्ट्स ने कहा, इससे टाटा संस अपने पुराने मॉडल की ओर लौटेगी। हालांकि, प्रस्ताव लागू करना आसान नहीं होगा। नया प्रस्ताव टाटा संस के बोर्ड व ट्रस्ट्स के बीच कंपनी के स्वामित्व को लेकर बढ़ते मतभेद के बीच आया है। एजेंसी

विलय से क्या बदलेगा

प्रस्ताव के मुताबिक, 31 मार्च, 2026 के आंकड़ों के आधार पर विलय के बाद बनी इकाई की परिचालन आय 1,05,043 करोड़ रुपये होगी। वहीं, वित्तीय परिसंपत्तियों से आय 40,072 करोड़ रुपये होगी। ■ इस तरह, कुल आय में परिचालन राजस्व की हिस्सेदारी 64.3% होगी। टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि इस स्थिति में टाटा संस आरबीआई के नियमों के तहत एनबीएफसी नहीं होगी। ■ विलय के बाद टाटा संस सिर्फ होल्डिंग कंपनी नहीं होगी। वह सीधे कारोबार भी करेगी।

ग्लास स्किन ट्रेंड से परेशान न हों 80% से ज्यादा किशोरों को मुंहासे

ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन और दूसरी समस्याएं

अमर उजाला नेटवर्क

लंदन/नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर बेदाग और चमकदार त्वचा यानी 'ग्लास स्किन' का ट्रेंड किशोरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कई किशोर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर कई तरह के सीरम, टोनर, मास्क और एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। अपेक्षित परिणाम न मिलने पर युवा तनाव में आ जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में त्वचा की देखभाल के लिए लंबी-चौड़ी स्किनकेयर रूटीन जरूरी नहीं है। उल्टा, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन और दूसरी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 18 वर्ष की उम्र के 80 प्रतिशत से अधिक किशोरों को एक्ने यानी मुंहासों की समस्या होती है।

त्वचा विशेषज्ञों के मुताबिक किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ता है। इससे बालों के रोम बंद होने और सूजन के कारण ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और मुंहासे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली बिल्कुल साफ और बेदाग त्वचा को सामान्य मानक नहीं समझना चाहिए। पोर्स, ब्लैकहेड्स, लालिमा और कभी-कभी मुंहासे किशोर त्वचा का सामान्य हिस्सा हो सकते हैं।

युवाओं को 5 जरूरी सुझाव

- **रूटीन रखें आसान**...विशेषज्ञों के अनुसार किशोरों की बेसिक स्किनकेयर रूटीन में हल्का क्लेंजर, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर और एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन पर्याप्त आधार हो सकता है।

ज्यादा प्रोडक्ट का मतलब बेहतर त्वचा नहीं
एक साथ कई सीरम, टोनर, मास्क और मजबूत एक्टिव इंग्रीडिएंट त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रॉक्सी एसिड व रेटिनॉयड जलन और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं।

- **मुंहासे न दबाएं** मुंहासों को बार-बार छूने या फोड़ने से सूजन बढ़ सकती है और दाग या त्वचा के रंग में बदलाव का खतरा बढ़ सकता है।
- **नींद व खानपान पर ध्यान दें**...पर्याप्त नींद जरूरी है। नींद की कमी से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जो कुछ लोगों में मुंहासों को बढ़ाने से जुड़ा है।
- **गंभीर एक्ने में डॉक्टर से सलाह लें**...अगर मुंहासे लगातार बने हुए हैं, दर्दनाक या सिस्टिक हैं या त्वचा पर दाग छोड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया की सलाह के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।

पढ़ें, कहां मिल रही हैं कितनी नौकरियां amarujala.com पर

4 हजार करोड़ के नोएडा जमीन घोटाले में तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र बर्खास्त

लखनऊ। चार हजार करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र को बर्खास्त कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने सोमवार को आदेश जारी किया। वरिष्ठ पीसीएस अफसर हरीश चंद्र फिलहाल कोलकाता में खाद्य एवं रसद विभाग के स्थानिक प्रतिनिधि पद पर तैनात हैं।

हरीश चंद्र पर नोएडा विकास प्राधिकरण में सचिव रहते ग्राम शहदरा की अर्जित और कब्जा प्राप्त करीब 3.81 लाख वर्ग मीटर जमीन को नियमों के विपरीत लीज बैक कराने के आरोप थे। 2013 में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर जांच मेरठ मंडलायुक्त को सौंपी गई थी।

जांच में हरीश चंद्र को करीब 4,00,447 वर्गमीटर भूमि, जिसका बाजार मूल्य करीब 4,000 करोड़ रुपये आंका गया, को अनियमित ढंग से आवंटित कराने और निजी पक्षों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया। लोकसेवा आयोग की सहमति और हाईकोर्ट की तीन सितंबर, 2026 की कार्यवाही में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की। साथ ही उनके विरुद्ध चल रही विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किए जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। ब्यूरो

शास्त्र के साथ एआई पढ़ाने वाला विवि बनाएं : एन चंद्रशेखरन

बंगलूरू। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हिंदू शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने वाले एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यह श्रृंगेरी के आचार्य के कुलाधिपतित्व में स्थापित किया जा सकता है और इसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान के साथ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाया जाए।

श्रृंगेरी मठ में श्री महागणपति वाक्यार्थ विद्वत सभा के समापन समारोह में चंद्रशेखरन ने कहा, भारतीय परंपरा में नैतिकता के साथ-साथ व्याकरण, तर्क और मीमांसा जैसे विषयों में ज्ञान और विचार-विमर्श की गहरी परंपरा रही है। इन विषयों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समग्र पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

चंद्रशेखरन ने कहा कि आज दुनिया में अलग-अलग विषयों के मेल से नई खोजें हो रही हैं और इसी कारण अंतरविषयक शिक्षा महत्वपूर्ण होती जा रही है। चंद्रशेखरन ने कहा, हिंदू सनातन धर्म और उसके विभिन्न विषयों के विद्वानों को आधुनिक विषयों के विशेषज्ञों के समान पहचान नहीं मिल पाई है। इन विद्वानों का ज्ञान और अनुभव व्यापक समाज तक पहुंचना चाहिए। एजेंसी

थप्पड़ मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के आरोप में पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 के तहत नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की है। इसके तहत जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि साहिल सिंह ने मंत्री के खिलाफ थप्पड़ मारने की शिकायत दी थी। इस आधार पर जो केस बनता था, उसके हिसाब से एनसीआर दर्ज की गई है। ब्यूरो

आप विधायक जरनैल के खिलाफ एफआईआर

थप्पड़ विवाद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की शिकायत पर आप विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों व ठेकेदार की ओर से दी गई शिकायतों में आरोप है कि जरनैल ने सड़क का काम रोकने की कोशिश की और पैसे की मांग की। एक शिकायत में नई बनी सड़क को क्षति पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप भी लगाए गए हैं।

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

एससीओ 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़

केस नं.: आरसी न. 565/2018

पंजाब नैशनल बैंक .... सर्टिफिकेट होल्डर

बनाम

हरि चंद .... सर्टिफिकेट डेब्टर

(आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के साथ पठित आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993 की धारा 25 से 29 को देखें)
बिक्री उदघोषणा को सैटल करने हेतु सूचना।

(सीडी-1) श्री हरि चंद पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव नैसी, उप तहसील ईस्माईलाबाद, जिला कुरूक्षेत्र।

चूंकि माननीय पीठासनी अधिकारी द्वारा 14,10,837.00 रु. भावी ब्याज के साथ राशि हेतु वसूली प्रमाणपत्र न. 565/2018 in ओ.ए. नं. 2563/2017 जारी किया गया है। चूंकि उक्त राशि का आपके द्वारा मांग सूचना को सर्व करने और पर्याप्त समयावधि बीत जाने के बावजूद भी सीएच बैंक को आपके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अतः आपको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

एतद्द्वारा रेहन रखी गई संपति के संबंध में बिक्री की उदघोषणा को जारी करने का निर्णय लिया गया है। अतः यह सूचना अचल संपति पर किसी भी ऋणभार को घोषित करने और पीओएस हेतु शर्तों व नियमों को स्थापित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 08.10.2026 को आपकी उपस्थिति के लिए है।

संपति का विनिर्देशन

गांव नैसी, उप-तहसील ईस्माईलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित जमाबंदी वर्ष 2000-2001 द्वारा कैवट न. 119 में शामिल 303/2280वां भाग 13के-0एम माप की कृषि भूमि।

मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिनांक : 01.09.2026 को दिया गया

(वसूली अधिकारी)
डीआरटी-II, चंडीगढ़

U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. : 0522-2307826/28
Email : upstatesugarcorporation@gmail.com, www.upsugcorp.in

Ref No.: PC/SSC/PPP/CHHATA-2026/578 Dated: 25.09.2026

TENDER NOTICE

Online GeM-Bid Number (GEM/2026/B/8090643) is invited from Company/ Proprietor firm/ Partnership firm/ Trust/ Individuals/ Society on "Concession cum Lease" basis for approximate 20 Acres of Land of Chhata Sugar Company Limited, Chhata, Mathura, U.P for developing a Grain/ Molasses (Dual Mode) based MINIMUM 120 KLPD ETHANOL PLANT.

For Details Parties may visit GeM Website https:// gem.gov.in and UPSSCL Website https:// upsugcorp.in

MANAGING DIRECTOR

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी /संपर्क जानकारी/ईमेल
1	यूएचबीवीएन	ड्राईवर के साथ 24 घंटे एसडीओ 'ओपी' एस/डिवीजन यूएचबीवीएन सिवान के अंतर्गत (निगम के स्टोर तथा अन्य निगम कार्यों में ढुलाई हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु) पिछली तरफ से 1 अदद महिन्द्रा/टाटा, फोर्स किसी अन्य ओपन कैम्पर/पिकअप को हायर करना।	निविदा खरीद हेतु तिथि 07.10.2026 को अप. 03:00 बजे तक तथा निविदा आवेदन जमा करवाना 08.10.2026 को अप. 01:00 बजे तक तथा उसी दिन अर्थात 08.10.2026 को अप. 03:00 बजे खोलना।	बोली दस्तावेज की लागत 500/-रू. है तथा धरोहर राशि तथा 6000/- रू. प्रति वाहन होगी।	www.uhbvn.org.in NIT No. 08/2026-27 dated 25.09.2026	9315457387 xenopguhla@uhbvn.org.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in तथा www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।

PRDH:-13/2027/60/49732/I/1/6 Dt.28/09/2026

हरियाणा सरकार — शुद्धि पत्र

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधि. का नाम	पुराना संदर्भ/एनआईटी संख्या	शुद्धि पत्र का स्वरूप	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क जानकारी/ईमेल
1	यूएचबीवीएन	NIT NO. 03/2026-27	ड्राईवर के साथ यूएचबीवीएन लाडवा में एसडीओ 'ओपी' एस/डिवी. लाडवा हेतु प्रयोग के लिए आऊटसोर्स द्वारा 1 अदद महिन्द्रा बोलेरो वाहन की हायरिंग को 01/10/2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है।	www.uhbvn.org.in	7419777010 Xenopladwa@uhbvn.org.in
2	यूएचबीवीएन	NIT NO. 04/2026-27	ड्राईवर के साथ यूएचबीवीएन लाडवा में एसडीओ 'ओपी' एस/डिवी. लाडवा हेतु शिकायत केन्द्र के प्रयोग के लिए आऊटसोर्स द्वारा 1 अदद महिन्द्रा पिकअप वाहन की हायरिंग को 01/10/2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है।	www.uhbvn.org.in	7419777010 Xenopladwa@uhbvn.org.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।

PRDH:-13/2027/60/49703/I/1/6 Dt. 28/09/2026

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा कार्यालय :- मुख्य शाखा
कैथल (00663)

कार की बिक्री - बोलियां आमंत्रण सूचना

ऋणकर्ताओं व जन साधारण को बकाया ऋण राशि के प्रति वसूली हेतु हाईपोथिकेटिड एग्रीमेंट की शर्तानुसार बैंक द्वारा जब्त किये गए निम्न निर्दिष्ट गाड़ियों हेतु बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

यहां निम्न निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य के प्रति मोहरबंद लिफाफे में बोलियां आमंत्रित हैं तथा उक्त राशि से कम किसी भी बोली को सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। उच्चतम बोलीदार को बैंक द्वारा पुष्ट की गई बोली राशि के भुगतान पर गाड़ी सुपुर्द कर दी जाएगी। अन्य बोलीदारों की ईएमडी बगैर ब्याज/दावे के चाहे कुछ भी हो, वापिस कर दिया जाएगा। बोलीदार नीलामी की तिथि से पूर्व शाखा में डिमांड ड्राफ्ट/चैक के रूप में ईएमडी जमा करवाएंगे।

मॉडल एवं मेक	पंजीकरण नं.	ईंधन	मीटर रीडिंग	रंग
ह्युंडई वेन्यु 1.5 सीआरडीआई एमटी एसएक्स	30.09.2025 HR83B-2295	डीजल	35150	सफेद

ईएमडी राशि 83,000 बोली खुलने की तिथि तथा बिक्री की पुष्टि : 13.10.2026 समय : पूर्वा. 11.00 बजे
नीलामी स्थल : मुख्य शाखा, कैथल आरक्षित मूल्य : 8,30,000/-
किसी भी स्पष्टीकरण हेतु आप मुख्य शाखा, कैथल में शाखा पर जा सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकते हैं।

शाखा प्रबंधक,
अजय वर्मा
मोबाईल नं. 9767258853

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

यूनिट नं. / संपत्ति आई डी नं. 1KRNOC87 ([illegible]), 1KQAM725 ([illegible]), 1KU2N138 ([illegible]) 1KWK5J36 ([illegible]) में स्थित है। नगर निगम यमुनानगर के [illegible] रिकॉर्ड में सुभाष चन्द पुत्र प्रेम सागर व [illegible] सुभाष चन्द के नाम दर्ज है। [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार सुभाष चन्द पुत्र प्रेम सागर की मृत्यु 17.02.2026 को हो चुकी है। अब इस सम्पत्ति के कानूनी वारसान हेतु [illegible] [illegible] पुत्र, [illegible] पुत्र, [illegible] पुत्र, [illegible] पत्नी / पुत्रियों / पुत्र सुभाष चन्द ने वसीयत / वारसान रिपोर्ट के आधार पर [illegible] रिकार्ड में अपना नाम इंद्राज करने बारे आवेदन किया है। अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार [illegible] रिकार्ड में इंद्राज करने/ मालकीयत बदलने बारे कोई एतराज हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। [illegible], नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी

HARYANA TOURISM
Come, holiday with us !

ई-नीलामी सूचना

हरियाणा पर्यटन निगम लि. के ओएसिस पर्यटक परिसर, करनाल में वाटर पार्क व एम्यूजमेंट गतिविधियों को लाइसेंस पर देने के लिए ई-बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। यह ई-नीलामी 14.10.2026 को (दोपहर 12.15 बजे से अप. 1.00 बजे) आयोजित की जाएगी। दस्तावेजों को जमा करवाने हेतु **अंतिम तिथि 09.10.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे तक** है।

ऑनलाईन भागेदारी हेतु गतिविधि की जानकारी के साथ ई-नीलामी दस्तावेज एचटीसी की वेबसाईट अर्थात www.haryanatourism.gov.in के साथ-साथ http://eauction.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रबंध निदेशक, एचटीसी, बिना कोई कारण बतलाए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

हस्ता/-
प्रबंध निदेशक
हरियाणा पर्यटन निगम लि.

SAMVAD:-1117/11/192/2027/49720/C/1/6 Dt.28/09/2026

HARYANA TOURISM
Come, holiday with us !

ई-नीलामी सूचना

महाभारत अनुभव केन्द्र, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में दुकानों को लाइसेंस पर देने के लिए ई-बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। यह ई-नीलामी 12.10.2026 को (दोपहर 12.15 बजे से अप. 1.00 बजे) आयोजित की जाएगी। दस्तावेजों को जमा करवाने हेतु **अंतिम तिथि 09.10.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे तक** है।

ऑनलाईन भागेदारी हेतु गतिविधि की जानकारी के साथ ई-नीलामी दस्तावेज एचटीसी की वेबसाईट अर्थात **www.haryanatourism.gov.in** के साथ-साथ **http://eauction.gov.in** पर उपलब्ध हैं। प्रबंध निदेशक, एचटीसी, बिना कोई कारण बतलाए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

हस्ता/-
प्रबंध निदेशक
हरियाणा पर्यटन निगम लि.

SAMVAD:-1117/11/191/2027/49719/C/1/6 Dt. 28/09/2026

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, जोनल कार्यालय करनाल, प्रथम तल, एसपी बिल्डिंग
नोवेल्टी रोड, इंडियन ऑयल पैट्रोल पंप के पीछे, करनाल
जिला करनाल, हरियाणा पिन-132001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट-IV-ए'' [नियम 8 (6)] /9 (1) के प्रावधानों को देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि : 22.10.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे एवं ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि: 22.10.2026

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुन: निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता एवं विशेषकर ऋणकर्ताओं एवं गांरटरों को एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्ननिर्दिष्ट अचल संपत्तियां प्रतिभूति ऋणदाता के पास रहन/प्रभारित है, जिसका **निर्माणात्मक** कब्जा इंडियन बैंक व इंडियन बैंक प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, इसे निम्ननिर्दिष्ट ऋणकर्ताओं व गांरटरों से प्रतिभूति ऋणदाता को देय राशि की वसूली हेतु निम्ननिर्दिष्ट तिथि को **'जैसे है जहां है' 'जैसे है जो है'** एवं **'जो भी वहां है'** के आधार पर बेचा जाएगा। **आरक्षित कीमत एवं जमा धरोहर राशि** तथा अचल संपति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) एवं गांरटर (रों) का नाम/शाखा कार्यालय	अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा सांकेतिक/भौतिक कब्जे का प्रकार	प्रत्याभूत ऋण की राशि	1. आरक्षित कीमत 2. ईएमडी राशि 3. बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति आईडी सं.	सम्पति पर ऋणभार
01	**शाखा कार्यालय: पानीपत** 1. **मैसर्स मलिक हैचरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) पता** (ए): डाकघर सींक, तहसील इसराना, जिला: पानीपत- 132107 (हरियाणा) 2. **श्री संजय मलिक पुत्र श्री राममेहर सिंह (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) 3. **श्री अजय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) 4. **श्री करमबीर सिंह मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा) 5. **श्री अक्षय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) 6. **श्री दया किशन मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान नंबर 598 सेक्टर - 11 हुडा पानीपत। 7. **श्री राम मेहर सिंह (चूंकि मृत) पुत्र श्री टेक चंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) 8. **श्रीमती ओमपति पत्नी श्री करमबीर सिंह मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान सं. 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा)	ए.सी. दूसरा ग्रेड इसराना द्वारा 16.09.2009 को स्वीकृत एवं दर्ज तथा म्यूटेशन सं. 3792, 3793 एवं 3794 एवं सब रजिस्ट्रार इसराना के साथ पंजीकृत गिफ्ट विलेख वसीका सं. 2542, 2543 एवं 2544 दिनांक 09.09.2009 द्वारा श्री करमबीर सिंह पुत्र टेक चंद, श्री अजय एवं श्री अक्षय पुत्र श्री दया किशन तथा श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम मेहर सिंह द्वारा स्वामित्व में राजस्व गांव सींक, तहसील- इसराना, जिला पानीपत में स्थित 55 कनाल 10 मरला माप की भूमि के सम्पूर्ण भाग के तौर पर खेवट सं. 595/499, खतौनी सं. 699 रेक्ट सं. 57, किला सं. 13 (3-6), 14(5-13), 15(7-4), 16(8-0), 17(8-0), रेक्ट सं. 58 किला सं. 11 (8-0), 20(8-0), 21(7-7) में शामिल भूमि पर निर्मित भवन एवं भूमि का समान रेहन। सीमाएं निम्न अनुसार हैं :- 48 कनाल- 3 मरला : उत्तर :- रजवाहा, दक्षिण - रास्ता 3 करम चौड़ा, पूर्व - श्री तारा सिंह की भूमि, पश्चिम - मैटल्ड रोड एवं उसके बाद कुटाना नदी, 7 कनाल - 7 मरला - उत्तर - रास्ता तीन करम चौड़ा, दक्षिण - अन्य की भूमि, पूर्व - रास्ता, पश्चिम - अन्य की भूमि।	Rs.10,41,26,543/- 05.01.2026 तक	1. Rs. 9,98,44,200/- 2. Rs. 99,84,420/- 3. Rs.1,00,000/-	IDIB30066578153B	निल

बैंक वेबसाईट www.indianbank.in | ई-नीलामी वेबसाईट | दस्तावेज (बिक्री सूचना ईमेज) | संपति का स्थान | संपति का वीडियो | संपति के फोटो

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) एवं गांरटर (रों) का नाम/शाखा कार्यालय	अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा सांकेतिक/भौतिक कब्जे का प्रकार	प्रत्याभूत ऋण की राशि	1. आरक्षित कीमत 2. ईएमडी राशि 3. बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति आईडी सं.	सम्पति पर ऋणभार
02	**शाखा कार्यालय: पानीपत** मैसर्स मलिक हैचरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) पता (ए): डाकघर सींक, तहसील इसराना, जिला: पानीपत- 132107 (हरियाणा) **श्री संजय मलिक पुत्र श्री राममेहर सिंह (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री अजय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री करमबीर सिंह मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा) **श्री अक्षय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री दया किशन मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान नंबर 598 सेक्टर - 11 हुडा पानीपत। **श्री राम मेहर सिंह (चूंकि मृत) पुत्र श्री टेक चंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्रीमती ओमपति पत्नी श्री करमबीर सिंह मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान सं. 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा)	सब रजिस्ट्रार इसराना के पास पंजीकृत सेल डीड वसीका नं. 1530 दिनांक 20.03.2009 द्वारा श्री करमबीर सिंह पुत्र श्री टेक चंद पुत्र केहरी के नाम पर राजस्व गांव सींक, तहसील इसराना जिला पानीपत में स्थित खेवत नं. 430/356 खतौनी नं. 490 रेक्ट. नं. 111 किला नं. 16/3(0-2), रेक्ट. नं. 163 किला नं. 25/2(3-19), रेक्ट. नं. 164 किला नं. 8(8-0), 9(8-0), 13(8-0), 21(7-4), 22(7-11), 23(7-11) में शामिल 50के-7एम माप भूमि का 1563/4972 वां भाग अर्थात 15के-16एम माप भूमि पर निर्मित भवन तथा भूमि का न्यायोचित रेहन तथा इसका म्यूटेशन नं. 3774 ए.सी. द्वितीय ग्रेड, ईसराना द्वारा 10.06.2009 को दर्ज व स्वीकृत किया गया था। सीमाएं : उत्तर :- श्री लीलू राम की भूमि, दक्षिण - मौजूद जगता भट्टा क., पूर्व : श्री जगबीर की भूमि, पश्चिम :- कच्चा रास्ता	Rs.10,41,26,543/- 05.01.2026 तक	1. Rs. 2,36,39,400/- 2. Rs. 23,63,940/- 3. Rs.1,00,000/-	IDIB30066578153C	निल

बैंक वेबसाईट www.indianbank.in | ई-नीलामी वेबसाईट | दस्तावेज (बिक्री सूचना ईमेज) | संपति का स्थान | संपति का वीडियो | संपति के फोटो

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) एवं गांरटर (रों) का नाम/शाखा कार्यालय	अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा सांकेतिक/भौतिक कब्जे का प्रकार	प्रत्याभूत ऋण की राशि	1. आरक्षित कीमत 2. ईएमडी राशि 3. बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति आईडी सं.	सम्पति पर ऋणभार
03	**शाखा कार्यालय : पानीपत** मैसर्स मलिक हैचरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) पता (ए): डाकघर सींक, तहसील इसराना, जिला: पानीपत- 132107 (हरियाणा) **श्री संजय मलिक पुत्र श्री राममेहर सिंह (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री अजय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (निदेशक, रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52), पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री करमबीर सिंह मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा) **श्री अक्षय मलिक पुत्र श्री दया किशन मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्री दया किशन मलिक पुत्र श्री टेकचंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान नंबर 598 सेक्टर - 11 हुडा पानीपत। **श्री राम मेहर सिंह (चूंकि मृत) पुत्र श्री टेक चंद (रेहनकर्ता और गारंटर)** अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से पता: 976 सींक (52) पानीपत 132107 (हरियाणा) **श्रीमती ओमपति पत्नी श्री करमबीर सिंह मलिक (रेहनकर्ता और गारंटर)** पता: मकान सं. 101/2 सींक (52) पानीपत - 132107 (हरियाणा)	सेल डीड नं. 3615 दिनांक 23.07.2008 द्वारा श्रीमती ओमपति पत्नी श्री करमबीर के नाम पर राम लाल चौक, मॉडल टाऊन पानीपत में स्थित 35.48 वर्ग गज माप की संपति सं. 191-आर के साथ दुकान का न्यायोचित रेहन। सीमाएं :- उत्तर : सड़क 40'0'' चौड़ी मुख्य सड़क, दक्षिण :- श्री सुभाष की संपति, पूर्व :- अन्य दुकान, पश्चिम:- मै. सभरवाल डेंटल क्लीनिक।	Rs.10,41,26,543/- 05.01.2026 तक	1. Rs. 1,62,90,000/- 2. Rs. 16,29,000/- 3. Rs.1,00,000/-	IDIB30066578153D	निल

बैंक वेबसाईट www.indianbank.in | ई-नीलामी वेबसाईट | दस्तावेज (बिक्री सूचना ईमेज) | संपति का स्थान | संपति का वीडियो | संपति के फोटो

बोलीदारों को ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी एलायंस प्राई. लि. की वेबसाईट (**https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन स्टेटस और ईएमडी स्टेटस हेतु कृपया **support.baanknet@psballiance.com.** पर संपर्क करें।

संपत्ति की जानकारी और संपत्ति के फोटोग्राफ और नीलामी की शर्तों व नियमों के लिए कृपया **https://baanknet.com** पर जाएं और इस पोर्टल से संबंधी स्पष्टीकरण हेतु कृपया पीएसबी एलायंस प्राई. लि., संपर्क नं. 8291220220 पर संपर्क करें।

बोलीदारों को वेबसाईट **https://baanknet.com** पर संपत्ति हेतु सर्च करते हुए ऊपर निर्दिष्ट संपत्ति आईडी नम्बर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

दिनांक : 27.09.2026 स्थान : पानीपत प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणकर्ताओं व गारंटरों को प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6)/ 9(1) के तहत 15 दिन की सूचना भी है।